शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश,लखनऊ । सेवा में,

(1) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

(2) मण्डलीय सहायक शिक्षा निर्देशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश।
पत्रांकःशिविविवि(बेव)/आरवटीवर्डव/ क्षित्रक्ति 2016—17 दिनांक 27 फरवरी, 2017
विषय:—निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 की धारा—12(1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा—1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में ऑन—लाइन प्रवेश हेतु प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में।
महोदय

अवगत कराना है कि शासन के निर्देशानुसार सर्व शिक्षा अभियान द्वारा उपर्युक्त कियक निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 की धारा—12 (1) (ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल आयवर्ग के बच्चों को कक्षा—1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया हेतु वर्तमान शैक्षिक सत्र में NIC से 'सॉफ्टवेयर' का निर्माण किया जा रहा है।

उक्त सॉफ्टवेयर को क्रियाशील करने के लिए निकट भविष्य में समयबद्ध योजना पर कार्य किया जाना होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 की धारा—12 (1) (ग) के अन्तर्गत आवेदन पत्र की प्रक्रिया को ऑन—लाइन करने के लिए प्रथमतः नगर क्षेत्र के समस्त गैर सहायता प्राप्त स्कूलों की निर्देशिका (directory) प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जानी है, जिसके लिये आपको शीघ्र ही NIC द्वारा प्राप्त लॉग—इन पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा।

कृपया लॉग—इन पासवर्ड का प्रयोग करते हुए सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित विवरण अंकित करें, तथा सुनिश्चित हों लें कि जनपद में संचालित कोई भी गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालय निर्देशिका में छूटने न पाये। स्कूल विवरण के कॉलम आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, जिसमें विद्यालय संबंधी मूल विवरण भरे जाने की अपेक्षा है :--

- (1) स्कूल का नाम
- (2) प्रधानाचार्य का नाम
- (3) दूरभाष नम्बर
- (4) छात्र संख्या
- (5) नगर क्षेत्र / वार्ड का नाम

(सुलभ संदर्भ हेतु स्क्रीन पर दिखने वाला प्रारूप संलग्न है)

02

कृपया दिनांक 06 मार्च, 2017 तक इस कार्य को अवश्य पूर्ण कर लें, इसे क्रियाशील करने हेतु दिनांक 15-03-2017 को एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। उक्त विवरण के साथ यदि कोई सुझाव हो, तो कृपया ई-मेल द्वारा अलग से उपलब्ध करायें।

जक्त कार्यक्रम हेतु निदेशालय स्तर पर श्रीमती नीना श्रीवास्तव, अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक) को नोडल अधिकारी बनाया गया है। किसी प्रकार की समस्या के निस्तारण हेतु मेल अथवा दूरभाष से सम्पर्क किया जा सकता है। संलग्नक:जपरोक्त

> भवदीय, १२ १५७२ ११ डी०बी० शर्मा)

शिक्षा निदशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्याःशि०नि०(बे०) / आर०टी०ई० / ८१९ १८०१६ / ८०१६ – १७०६९ / ८०१६ – १७०६९ । उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, बेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग-5, उ०प्र० शासन।
- 2- राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3— अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ०प्र०, इलाहाबाद ।
- 4— सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद ।
- 5- अपर परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6— अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक),(नोडल ऑफीसर), बेसिक शिक्षा निदेशालय, शिविर कार्यालय, लखनऊ।

(डा०बा० शमा) शिक्षा निदशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

Data Directory Format for BSAs

16:57 (53 minutes ago)

Please find below the data format we need BSAs to fill

	UDISE -	School Name	S LOVO	No of RTE Seats	Ventipal.	Prince of State of St	rincipal mail ID	Ward
	Autofilled	Autofilled	Mandatory	Autofilled	Mandatory	1000	Optional	Dropdown
					~			Optional
								but very
		·		Can be				important to
			Dropdown	edited				be filled
		THEKZON	_			ÿ		
		PUBCOLL	Nagar					
Exampl	927091569	TOBITZE	Nigam				MN a smail co	
e	6	ROM	Lucknow	20	XYZ	99999999	40	Narhi

Please also ask them to fill data of any missing school as well.